गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) और (ख) भारत सरकार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से "गोटे गांव रेलवे स्टेशन" का नाम बदल कर "श्रीधाम" करने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। 1.7.1994 को भारत सरकार ने प्रस्तावित परिवर्तन करने के लिए अपनी अनापत्ति राज्य सरकार को सूचित कर दी है।

Distribution of Drugs by Militants

2929. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the answer to U.Q. 224 given in the Rajya Sabha on 27th July, 1994 and state:

(a) whether militants in Jammu and Kashmir are freely distributing drugs to get new recruits and the administration is just a mute spectator; and

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) It is true that militants are trying their best to lure the youth into militancy but no instances of distribution of drugs for this purpose has come to notice of the Government.

Amendment to the Laws Against Bigamy

2930. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several social organisations in the country have urged the Government to make amendments to the laws against bigamy and also to make the offence cognizable and non bailable;

(b) if so, the details of the complaints of bigamy received during the last three years;

(c) whether the Government now propose to make amedments in the laws; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a), (c) and (d)The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) This information is not collected and maintained by the Government.

Controversy About SPG Chief

2931. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:
SHRI DIGVIJAY SINGH:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the SPG chief has been in controversy for a long time;

(b) if so, what are the reasons for it and whether the SPG chief had been arrested in Washington during Prime Minister's recent US visit; and

(c) if so, what are the details thereof and what is the reaction of Government in the matter stating its impact on India's image in foreign countries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) No, Sir.

(c) *Question does not arise.*

Formation of Uttaranchal State

2932. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer the answer to Unstarred Question 4048 given in the Rajya Sabha on 25th August, 1993 and state:

(a) whether Government have had any discussion with the Uttar Pradesh Government regarding formation of Uttaranchal and whether Government of

Uttar Pradesh have supported and reiterated the formation of Uttaranchal;

(b) whether Central Government representatives have been discussing with the leaders of various groups demanding Uttaranchal and what is the content of such discussion; and

(c) by when steps will be taken to form the Uttaranchal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) The new Government formed in Uttar Pradesh in December, 1993 has not so far taken up the issue formally with Central Government.

(b) and (c) Do not arise.

पुलिस उपायुक्त के विरुद्ध जांच

2933. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कि पुलिस उपायुक्त, उत्तर-पूर्वी जिला, दिल्ली सट्टेबाजों, जुआरियों, वेश्यावृत्ति के धंधे के दलालों और खूंखार अपराधियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त पुलिस उपायुक्त के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाए जाने का आदेश दिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

सिक्किम में छोगयाल की संपत्ति के लिए दिया गया मुआवजा

2934. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम में 1975 से पहले सैकड़ों एकड़ भूमि और मकानों इत्यादि के मालिक छोगयाल थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने सिक्किम को राज्य का दर्जा देते समय यह भूमि अपने कब्जे में ले ली थी तथा उसके लिए संपत्ति के मालिक को कोई मुआवजा नहीं दिया गया था;

(ग) क्या सिक्किम सरकार ने गृह मंत्रालय से इस प्रकार की कोई मांग की है कि भारत सरकार ऐसी धन राशि दे दे जो कि करोड़ों रुपए की आंकी गई है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" में हो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) 1975 से पहले, चौग्याल, कुछ निजी सम्पदा, जो अभी उनके नाम पर है, के अलावा, उस सम्पत्ति के प्रशासक भी थे जिसे "निजी संपत्ति" कहा जाता था। निजी सम्पदा से उनकी आय भू-राजस्व तक ही सीमित थी जिसे वे लोग अदा करते थे जिनके पास निजी सम्पदा परिसर में भूमि होती थी। इसके अतिरिक्त, चौग्याल को निजी सम्पदा परिसर के अन्दर की भूमि, जो वन, बारागाह इत्यादि भूमि थी, पर भी राजस्व देय था।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि सरकार ने चौगयाल की सम्पदा को मुआवजा दिए बगैर ले लिया है। निजी सम्पत्ति जिसका अधिकार स्पष्ट रूप से उन्हें प्राप्त था, उनके उत्तरधिकारियों के पास ही बनी हुई है। तथापि, सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके निजी सम्पदा में भूमि से प्राप्त होने वाले राजस्व, किराया इत्यादि की आय का अधिकार अपने पास रख लिया है, जैसा कि अन्य भूमि के बारे में होता है।

(ग) जी हां, श्रीमान्। चौग्याल से लगातार प्राप्त हो रहे अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार समय-समय पर भारत सरकार से अनुरोध करती रही है कि भूतपूर्व चौग्याल के पक्ष में कोई उचित बन्दोबस्त किया जाये। तथापि, राज्य सरकार ने राशि का कोई उल्लेख नहीं किया है।

(घ) सरकार द्वारा भूतपूर्व चौग्याल को अधिग्रहित संपत्तियों के दावों को अंतिम रूप देने संबंधी मामले के बारे में, सरकार पहले ही अवगत है। भूतपूर्व चौग्याल के उत्तराधिकारियों को मुआवजे के रूप में 96 लाख रु० की अंतरिम अदायगी पहले ही कर दी गयी है।